संख्या-896/2017/2458/22-2-2017-17(153)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2017***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सफीजान पुत्र श्री शमशाद, निवासी जनपद-हरदोई की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-33906/पर-2/सलाहकार समिति/(एम 14.09.2017) दिनांक 18-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सफीजान पुत्र श्री शमशाद, ग्राम-टडियावां, थाना-टडियावां, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 07.09.1998 को करीब 09:00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गुडिया के साथ बलात्कार करने में असफल होने पर उसको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-16/1999 में भा0द0वि0 की धारा-452, 376, 522, 302/34 के अन्तर्गत मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 07.06.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2007 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय की सजा को यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 07.09.1998 को करीब 09:00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गुडिया के साथ बलात्कार करने में असफल होने पर उसको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सफीजान पुत्र श्री शमशाद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सफीजान (बन्दी संख्या-16071) पुत्र श्री शमशाद, निवासी जनपद-हरदोई की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-896/2017/2458/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।